


50



माननीय न्यायालय सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/2011-2012

R-1551-PBR/2011

1. लक्ष्मण पिता भग्गा जी, उम्र 55 वर्ष
  2. संपतबाई पति नंदा जी, उम्र 60 वर्ष
  3. बालू पिता नंदाजी, उम्र 40 वर्ष
  4. बद्रीलाल पिता नंदा जी, उम्र 35 वर्ष
  5. नंदा पिता लालाजी, उम्र 65 वर्ष
  6. शांताबाई बेवा सेवाराम, उम्र 50 वर्ष
  7. सोहनसिंह पिता पूरालाल जी, उम्र 25 वर्ष
  8. संपतबाई विधवा हीरालाल, उम्र 85 वर्ष
  9. अम्बाराम पिता लालजी, उम्र 45 वर्ष
  10. रतनलाल पिता भग्गा जी, उम्र 35 वर्ष
  11. रूगनाथ पिता हीरालाल, उम्र 65 वर्ष
  12. अचोध्याबाई पति नागूसिंह, उम्र 45 वर्ष
- समस्त निवासीगण-ग्राम नलवा तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.)

---आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. लक्ष्मीनारायण पिता रामचन्द्र, आयु 35 वर्ष, जाति-आंजना, धंधा-कृषि,
2. गोपाल पिता रामचन्द्र, उम्र 30 वर्ष, जाति-आंजना, धंधा-कृषि,
3. तेजुबाई विधवा रामचन्द्र, उम्र 55 वर्ष, धंधा-खेती, निवासीगण- ग्राम नलवा तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.)
4. मध्य प्रदेश शासन पटवारी हल्का नंबर 1 ग्राम नलवा तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.)

---अनावेदकगण

B  
D Chaturvedi  
29/9/11

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन द्वारा पारित प्रकरण क्रमांक 60/निगरानी/2010-2011 आदेश दिनांक 24-09-2011 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर प्रस्तुत।



निरंतर...2

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1551-पीबीआर/11

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.18 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p>	<p> प्रशासकीय सदस्य</p>